YOUNG INDIA • YOUNG PAPER
NBT
नवभारत टाइम्स

अब ऐप के जरिए आप कर पाएंगे खाना डोनेट

Rahul.Anand@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** जिस प्रकार ऐप की मदद की मदद से खाना ऑर्डर किया जाता है, उसी तर्ज पर ऐप के जरिए खाना दान करना भी संभव हो पाएगा। बचे हुए खाने की बर्बादी रोकने और जरूरतमंद लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथिरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) अब ऐप का सहारा लेने वाली है। अथॉरिटी बहुत जल्द इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा खाना बांटने वाली कंपनियों के लिए भी गाइडलाइन बना दी है, ताकि खाना इकट्ठा करने और बांटने तक खाने के सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इसके लिए एंजेसी में काम करने वाले स्टाफ की ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है। इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। नियम के खिलाफ जाने पर इनके खिलाफ एक्शन भी होगा।

शादी-पार्टी के बचे खाने को इकट्ठा किया जाएगा

पार्टी और शादी में बचे हुए खाने को इकट्ठा करने और इसे बांटने के लिए एफएसएसएआई ने फूड रिकवरी सिस्टम शुरू किया है। इसे 'सेव फूड, शेयर फूड, शेयर जॉय' नाम दिया है। यह खाना बनाने वाले कैटर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी और जरूरतमंद लोगों को एक कड़ी में जोड़ता है। अधिकारी ने बताया कि अब हम लोगों ने खाना इकट्ठा करने वाली एजेंसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें रजिस्टर कर रहे हैं और गाइडलाइन भी बना चुके हैं। इसका नॉटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस नियम को अगले साल एक जुलाई को लागू कर दिया जाएगा।

कई कंपनियां ले चुकी हैं ट्रेनिंग

एफएसएसएआई के अनुसार इस सिस्टम के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन शुरू किया गया है। अब तक कई कंपनी इससे रिजस्टर्ड हो चुकी हैं और कुछ ट्रेनिंग भी ले चुकी है। अभी तक 20 कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते हुई बैठक में खाना बांटने वाली कई कंपनियों ने हिस्सा लिया।

मदद के लिए कई कंपनियां आगे आईं

कुछ कंपनियां सामने आई है, जो कोल्ड चैन स्टोरेज, खाना इकट्ठा करने के लिए मिनी वैन और उसे सही रखने के लिए फ्रिजर की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि अब हम इन चुनौतियों को दूर करने में लगे हुए हैं।